क्रम-संख्या–158 (क–11)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 20 सितम्बर, 2025

भाद्रपद 29, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 1700 / ग्यारह-2–25-9(47) / 17-टी0सी0-285-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(360)-2025

लखनऊ, 20 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प0आ0–165

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–837 / ग्यारह–9(47) / 17–उ0प्र0 अधि0–2017–आदेश–(07)–2017 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2017 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई हैं या जिनके किए जाने का लोप किया गया है, राज्यपाल का, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा वस्तुओं की अंतः राज्य पूर्ति को, जिसका विवरण इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है, जो यथास्थिति टैरिफ मद, उप–शीर्षक या अध्याय, के अधीन आते हैं, जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 के अधीन उस पर लगने वाले सम्पूर्ण राज्य कर से छूट देते हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	अध्याय / उप-शीर्षक / टैरिफ / शीर्षकमद	माल का विवरण
1	2	3
1	0101	जीवित गधे, खच्चर और हिन्नियां
2	0102	जीवित गोवंशीय पशु
3	0103	जीवित सूअर
4	0104	जीवित भेड़ और बकरियां
5	0105	जीवित मुर्गी, अर्थात, गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के मुर्गे, बत्तख, हंस, टर्की और गिनी फाउल
6	0106	अन्य जीवित जानवर जैसे स्तनधारी, पक्षी, कीड़े
7	0201	गोवंशीय पशुओं का मांस, ताजा या ठंडा
8	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	सभी माल, ताजा या ठंडा
9	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, और प्री-पैकेज्ड लेवल वाले के अलावा
10	03	मछली के बीज, झींगा / श्रिम्प के बीज चाहे संसाधित, उपचारित या जमी हुई अवस्था में हों (अध्याय 3 के अंतर्गत आने वाले और 2.5 प्रतिशत आकर्षित करने वाले माल के अलावा)
11	0301	जीवित मछली
12	0302	मछली, ताजी या ठंडी, शीर्षक 0304 की मछली पट्टिका (फिलेट्स) और अन्य मछली मास को छोड़कर
13	0304, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी माल, ताजा या ठंडा
14	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा और प्री-पैकेज्ड लेवल वाले के अलावा
15	0401	ताजा दूध और पाश्चुरीकृत दूध, जिसमें अलग किया हुआ दूध, दूध और क्रीम शामिल है, जिसमें चीनी या अन्य मीठा करने वाले पदार्थ नहीं मिलाए गए हैं, यूएचटी दूध
16	0403	दही, लस्सी, छाछ, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
17	0406	छेना या पनीर, चाहे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया हो या नहीं
18	0407	पक्षियों के अंडे, छिलके सहित, ताजा, संरक्षित या पके हुए
19	0409	प्राकृतिक शहद, प्री-पैकेज्ड और लेबल-वाले के अलावा
20	0501	मानव बाल, असंसाधित, चाहे धोया या साफ किया गया हो या नहीं, मानव बाल का अपशिष्ट
21	0504	सभी माल, ताजा या ठंडा
22	0504	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा

1	2	3
23	0506	सभी माल अर्थात् हड्डियां और सींग–कोर, असंसाधित, वसा रहित, सामान्य रूप से तैयार (लेकिन आकार में नहीं काटा गया), एसिड या जिलेटिनयुक्त के साथ उपचारित इन उत्पादों का पाउडर और अपशिष्ट
24	0507 90	सभी माल अर्थात खुर का आटा, सींग का आटा, पंजे, नाखून और चोंच, सींग आदि
25	0511	वीर्य जिसमें जमे हुए वीर्य शामिल हैं
26	6	जीवित पेड़ और अन्य पौधे, बल्ब, जड़े और इसी तरह, कटे हुए फूल और सजावटी पत्ते
27	0701	आलू, ताजा या ठंडा
28	0702	टमाटर, ताजा या ठंडा
29	0703	प्याज, शलोट, लहसुन, लीक और अन्य एलियासियस सब्जियां, ताजा या ठंडी
30	0704	पत्तागोभी, फूलगोभी, कोल्हाबी, केल और इसी तरह की खाद्य ब्रैसिका, ताजा या ठंडी
31	0705	लैट्यूस (लैक्टुका सैटिवा) और चिकोरी (सिकोरियम एसपीपी), ताजा या ठंडा
32	0706	गाजर, शलजम, सलाद, चुकंदर, साल्सिफाई, सेलेरियक, मूली और इसी तरह की खाद्य जड़े, ताजा या ठंडी
33	0707	खीरे और घेरकिन्स, ताजा या ठंडे
34	0708	फलीदार सब्जियां, छिलके वाली या बिना छिलके वाली, ताजा या ठंडी
35	0709	अन्य सब्जियां, ताजा या ठंडी
36	0710	सब्जियां (बिना पकी या भाप में या पानी में उबालकर पकाई हुई), जमी हुई
37	0711	सब्जियां अस्थायी रूप से संरक्षित, लेकिन उस स्थिति में तत्काल उपभोग के लिए अनुपयुक्त
38	0712	सूखी सब्जियां, साबुत, कटी हुई, टुकड़ों में, टूटी हुई या पाउडर के रूप में, लेकिन आगे तैयार नहीं की गई
39	0713	सूखी फलीदार सब्जियां, छिलके वाली, चाहे छिलका उतारा गया हो या विभाजित किया गया हो, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
40	0714	कसावा, अरारोट, सालेप, यरूशलेम आटिचोक, शंकरकंद और उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री वाली समान जड़ें और कंद, ताजा या ठंडा, सूखा, साबूदाना
41	0714	कसावा, अरारोट, सालेप, यरूशलेम आटिचोक, शकरकंद और उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री वाली समान जड़ें और कंद, जमी हुई, चाहे टुकड़ों में या छर्रों के रूप में, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
42	08	सूखा मखाना, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
43	0801	नारियल, ताजा या सूखा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं

1	2	3
44	0801	ब्राजील नट्स, ताजा चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
45	0802	अन्य मेवे, ताजा जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फिलबर्ट्स (Corylus spp.) अखरोट, चेस्टनट (Castanea spp.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (Cola spp.), सुपारी, पाइन नट्स, ताजा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
46	0803	केले, जिनमें प्लांटैन भी शामिल है, ताजा या सूखे
47	0804	खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकैडो, अमरूद, आम और मैंगोस्टीन, ताजा
48	0805	खट्टे फल, जैसे संतरे, मैंडरिन (टेंजेरीन और सत्सुमा सहित); क्लेमेंटाइन, बिल्किंग्स और इसी तरह के खट्टे संकर, ग्रेपफ्रूट, जिसमें पोमेलो, नींबू (सिट्रस लिमन, सिट्रस लिमोनम) और लाइम (सिट्रस ऑरांटीफोलिया, सिट्रस लैटिफोलिया) शीमिल हैं, ताजा
49	0806	अंगूर, ताजा
50	0807	खरबूजे (तरबूज सहित) और पपीते, ताजा
51	0808	सेब, नाशपाती और क्विंस, ताजा
52	0809	खुबानी, चेरी, आड़ू (नेक्टराइन सहित), प्लम और स्लो, ताजा
53	0810	अन्य फल जैसे स्ट्राबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, शहतूत और लोगानबेरी, काले, सफेद या लाल करंट और गूजबेरी, क्रैनबेरी, बिलबेरी और जीनस वैक्सीनियम के अन्य फल, कीवी फल, ड्यूरियन, पर्सिमॉन, अनार, इमली, सपोटा (चीकू), कस्टर्ड-एप्पल (आता), बोर, लीची, ताजा
54	0813	सूखी इमली
55	0814	खट्टे फलों या खरबूजे (तरबूज सहित) के छिलके, ताजा
56	07, 09 या 10	बीज की गुणवत्ता वाले सभी माल
57	0901	कॉफी बीन्स, भुनी हुई नहीं
58	0902	चाय की असंसाधित हरी पत्तियां
59	0909	सौंफ, बादाम, सौंफ, धनिया, जीरा या कैरवे के बीज; बीज की गुणवत्ता वाले जुनिपर बेरीज
60	0910 11 10	ताजा अदरक, संसाधित रूप के अलावा
61	0910 30 10	ताजा हल्दी, संसाधित रूप से अलावा
62	1001	गेहूं और मेसलिन, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
63	1002	राई, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
64	1003	जौ, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
65	1004	जई, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
66	1005	मक्का (कॉर्न), प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
67	1006	चावल, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
68	1007	अनाज ज्वार, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
69	1008	बकवीट, बाजरा और कनारी बीज; अन्य अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
70	1101	गेहूं या मेसलिन का आटा, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा

1	2	3
71	1102	गेहूं या मेसलिन के अलावा अनाज का आटा, मक्का (कार्न) का आटा, राई का आटा आदि, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
72	1103	अनाज का दलिया, भोजन और छर्रे, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
73	1104	छिलका उतरे हुए अनाज
74	1105	आलू का आटा, भोजन, पाउडर, फ्लेक्स, दाने या छर्रे, प्री–पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
75	1106	शीर्षक 0713 की सूखी फलीदार सब्जियों (दालों) का आटा, भोजन, पाउडर [ग्वार मील (HS 1106 10 10) और ग्वार गम रिफांइड स्प्लिट (HS 1106 10 90) के अलावा], साबूदाना या शीर्षक 0714 की जड़ों या कंदों या अध्याय 8 के उत्पादों यानी इमली, सिंघाड़ा, आम का आटा आदि का, प्री–पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
76	1106 10 10	ग्वार मील
77	12	बीज की गुणवत्ता वाले सभी माल
78	1201	सोयाबीन, चाहे टूटा हुआ हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता का
79	1202	मूंगफली, भुनी हुई या अन्यथा पकाई हुई नहीं, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या टूटा हुआ, बीज की गुणवत्ता का
80	1204	अलसी, चाहे टूटी हुई हो या नहीं
81	1205	रेप या कोल्जा के बीज, चाहे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
82	1206	सूरजमुखी क बीज, चाहे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
83	1207	अन्य तिलहन और तैलीय फल [यानी ताड़ के नट और गिरी कपास के बीज, अरंडी के तेल के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसुम (Carthamus tinctorius) के बीज, बीज, खरबूजे के बीज, खसखस के बीज, अजवायन, आम की गिरी, नाइजर बीज, कोकम] चाहे टूटा हुआ हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
84	1209	बीज, फल और बीजाणु, जो बोने के लिए उपयोग किए जाते हैं। **स्पष्टीकरणः** इस प्रविष्टि में बोने के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं हैं
85	1210	हॉप शंकु, ताजा
86	1210 10 00	हॉप शंकु, न तो पिसे हुए और न ही पाउडर के रूप में और न ही छर्रों के रूप में
87	1211	पौधे और पौधों के हिस्से (बीज और फल सहित), जो मुख्य रूप से इत्र, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशी या इसी तरह के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, ताजा या ठंडा
88	1212	टिड्डी बीन्स, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गंन्ना, ताजा या ठंडा
89	1213	अनाज का भूसा और भूसी, बिना तैयारी के, चाहे कटा हुआ, पिसा हुआ, दबाया हुआ या छर्रों के रूप में हो

1	2	3
90	1214	स्वीड, मैंगोल्ड, चारा जड़ें, घास, ल्यूसर्न (अल्फाल्फा), तिपतिया घास, सेनफोइन, चारा केल, ल्यूपिन, वेच और इसी तरह के चारा उत्पाद, चाहे छर्रों के रूप में हों या नहीं
91	1301	लाख और चपड़ा
92	1401	साल के पत्ते, सियाली के पत्ते, सिसल के पत्ते, सबाई घास
93	1404 90 40	पान के पत्ते
94	1404 90 60	नारियल का खोल, असंसाधित
95	1404 90 90	झाड़ू या झाड़ू की छड़े बनाने के लिए वनस्पति सामग्री
96	1701 या 1702	(i) सभी प्रकार का गुड़, जिसमें गन्ने का गुड़, ताड़ का गुड़ शामिल है, प्री–पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा (ii) खांडसारी चीनी, प्री–पैकेज्ड अलावा वाले के अलावा (iii) राब, प्री–पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
97	1901	बाजरे के आटे का खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के हिसाब से कम से कम 70% बाजरा हो, प्री–पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
98	1904	फूला हुआ चावल, जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिड़ा के नाम से जाना जाता है, भुना हुआ चावल, जिसे आमतौर पर खोई के नाम से जाना जाता है, चीनी या गुड़ से लेपित भुना हुआ धान या चावल, जिसे आमतौर पर मुरकी के नाम से जाना जाता है, प्री–पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
99	1905	पापड़, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए
100	1905 या 2106	खाखरा, ब्रेड (ब्रांडेड या अन्यथा) पिज्जा ब्रेड, रोटी, चपाती, पराठा, परोटा और किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले अन्य भारतीय ब्रेड
101	2009 89 90	कच्चा नारियल पानी, प्री–पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
102	2106	धार्मिक स्थानों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाहों आदि द्वारा आपूर्ति किया गया प्रसादम
103	2201	पानी (वातायित, खनिज, आसुत, औषधीय, आयनिक, बैटरी, वि–खनिज और सीलबंद इकाई कंटेनर में बेचे जाने वाले पानी के अलावा)
104	2201	गैर–अल्कोहल वाली ताड़ी, नीरा जिसमें खजूर और ताड़ की नीरा शामिल है
105	2301, 2302, 2308, 2309	जलीय चारा जिसमें झींगा चारा और प्रॉन, पोल्ट्री चारा और पशु चारा शामिल है, जिसमें घास, भूसा और पुआल, पूरक और योजक, गेहूं का चोकर और डी–ऑयल्ड केक (चावल की भूसी के अलावा) शामिल हैं।
106	2306	डी–ऑयल्ड चावल की भूसी
107	2306	बिनौला की खली

1	2	3
108	2302, 2309	दालों की भूसी जिसमें छिलका, सांद्र जिसमें चुनी या चूरी, खंडा शामिल हैं
109	2501	नमक (टेबल नमक और विकृत नमक सहित) और शुद्ध सोडियम क्लोराइड, चाहे जलीय घोल में हो या जिसमें एंडी–केकिंग या फ्री फ्लोइंग एजेंट मिलाए गए हों, समुद्री जल
110	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र
111	2716 00 00	विद्युत ऊर्जा
112	2835	पशु आहार ग्रेड का डाइकैल्शियम फॉस्फेट (डीपीसी) जो IS विनिर्देश संख्या 5470:2002 के अनुरूप है
113	30 या कोई अन्य अध्याय	अनुबंध। में सूचीबद्ध दवाएं या औषधियां
114	3002	मानव रक्त और उसके घटक
115	3006	सभी प्रकार के गर्भ निरोधक
116	3101	सभी माल और जैविक खाद, प्री–पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
117	3304	काजल (काजल पेंसिल स्टिक के अलावा), कुमकुम बिंदी, सिंदूर, आलता
118	3825	नगरपालिका अपशिष्ट, सीवेज कीचड़, नैदानिक अपशिष्ट
119	3926	प्लास्टिक की चूड़ियां
120	4014	कंडोम और गर्भ निरोधक
121	4016	रबर
122	4401	जलाने की लकड़ी या ईंधन की लकड़ी
123	4402	लकड़ी का कोयला (खोल या अखरोट का कोयला सहित), चाहे एग्लोमेरेटेड हो या नहीं
124	44 या 68	पत्थर, संगमरमर या लकड़ी से बनी मूर्तियां
125	46	खाली दोना, साल के पत्तों, सियाली के पत्तों, सिसल के पत्तों, सबाई घास से बनी वस्तुएं, जिसमें सबाई घास की रस्सी भी शामिल है
126	46	सभी प्रकार के पत्तों/फूलों/छाल से बनी प्लेटें और कप
127	4802/4907	न्यायिक, गैर–न्यायिक स्टांप पेपर, कोर्ट फीस स्टांप जब सरकारी खजाने या सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेचे जाते हैं
128	4802	बिना लेपित कागज और पेपर बोर्ड, जो लिखने, छपाई या अन्य ग्राफिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, रोल या आयताकार (वर्ग सहित) शीट में, किसी भी आकार का शीर्षक 4801 या 4803 के कागज के अलावा, जो व्यायाम पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक के लिए उपयोग किया जाता है
129	4817/4907	डाक सामग्री, जैसे लिफाफा, पोस्ट कार्ड आदि, जो सरकार द्वारा बेचे जाते हैं
130	4820	व्यायाम पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक
131	48 या 4907 या 71	रुपये के नोट या सिक्के जब भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार को बेचे जाते हैं

1	2	3
132	4901	मुद्रित पुस्तकें, ब्रेल पुस्तकों सहित
133	4902	समाचार-पत्र, पत्रिकाएं और पत्रिकाएँ, चाहे सचित्र हों या विज्ञापन सामग्री युक्त हों
134	4903	बच्चों के चित्र, ड्राइंग या रंग भरने वाली किताबें
135	4904 00 00	संगीत, मुद्रित या पांडुलिपि में, चाहे जिल्दबद्ध हो या सचित्र हो
136	4905	मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार मानचित्र, स्थलकृतिक योजनाएं और ग्लोब शामिल हैं, मुद्रित
137	4907	ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप
138	5001	रेशम के कीड़े का अंडा, कोकून
139	5002	कच्चा रेशम
140	5003	रेशम अपशिष्ट
141	5101	ऊन, कार्डेड या कंघी नहीं किया हुआ
142	5102	महीन या मोटे पशु बाल, कार्डेड या कंघी नहीं किए हुए
143	5103	ऊन या महीन या मोटे पशु बालों का अपशिष्ट
144	52	गांधी टोपी, खादी धागा
145	50 से 55	खादी का कपड़ा, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) और KVIC प्रमाणित संस्थानों/आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाता है
146	5303	जूट फाइबर, कच्चा या संसाधित लेकिन काता नहीं गया
147	5305	नारियल, कॉयर फाइबर
148	53	कॉयर पिथ कम्पोस्ट, प्री–पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा
149	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
150	6703	मानव बाल, संवारे हुए, पतले, ब्लीच किए हुए या अन्यथा काम किए हुए
151	6912 00 40	मिट्टी का बर्तन और मिट्टी के दीपक
152	69	मिट्टी से बनी मूर्तियां
153	7018	कांच की चूड़ियां (कीमती धातुओं से बनी चूड़ियों को छोड़कर)
154	7117	लाख/चपड़ा की चूड़ियां
155	8201	कृषि उपकरण जो हाथ से या पशुओं द्वारा चलाए जाते हैं, यानी हाथ के औजार, जैसे फावड़ा, बेलचा, कुदाल, गैंती, कुदाल, कांटा और रेक, कुल्हाड़ी, बिल हुक और इसी तरह के काटने के उपकरण किसी भी प्रकार के सिकैटर और प्रूनर, दरांती, हंसिया, घास काटने वाले चाकू, हेज शियर्स, लकड़ी की कीले और कृषि, बागवानी या वानिकी में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण, घमेला के अलावा
156	8214	पेंसिल शार्पनर
157	8445	सूत की हाथ से कताई के चरखा, जिसमें अंबर चरखा भी शामिल है
158	8446	हथकरघा (बुनाई मशीनरी)

1	2	3
159	8802 60 00	अंतरिक्ष यान (उपग्रहों सहित) और सबऑर्बिटल और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण वाहन
160	9021	श्रवण यंत्र
161	92	अनुबंध।। में सूचीबद्ध स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र
162	9603	सरकंडा से बने मुड्डे, झाड़ू या ब्रश, जिसमें टहनियां या अन्य वनस्पति सामग्री होती है, एक साथ बंधी होती है, हैंडल के साथ या बिना
163	9608, 9609	पेंसिल (प्रोपेलिंग या स्लाइडिंग पेंसिल सहित), क्रेयॉन, पेस्टल, ड्राइंग चारकोल, लिखने या ड्राइंग चॉक और दर्जी का चॉक, स्लेट पेंसिल और चॉक स्टिक
164	9610 00 00	स्लेट
165	9619 00 10 या 9619 00 20	सैनिटरी टॉवेल (पैड) या सैनिटरी नैपकिन, टैम्पोन
166	9803	यात्री सामान
167	कोई अध्याय	पूजा सामग्री अर्थात्:–, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुसली कंठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण), पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञापवीत कहा जाता है), लकड़ी की खड़ाऊ, पंचामृत, विभूति, बिना ब्रांड वाला शहद, दीये की बाती, रोली, कलावा (रक्षा सूत्र), चंदन टीका
168	–	राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लॉटरी की आपूर्ति, इस शर्त के अधीन कि ऐसी लॉटरी की आपूर्ति पर उचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या एकीकृत कर, जैसा भी मामला हो, का भुगतान किया गया हो, जब राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त लॉटरी वितरक या बिक्री एजेंट को आपूर्ति की जाती है।
169	–	एक सरकारी इकाई द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को माल की आपूर्ति, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के बदले में।
170	कोई भी अध्याय	श्रवण यंत्र के निर्माण के लिए पुर्जे
171	कोई भी अध्याय 71 को छोड़कर	राखी (अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले माल से बनी राखियों के अलावा)
172	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या मुख्यमंत्री, या किसी भी लोक सेवक द्वारा प्राप्त उपहार वस्तुओं की आपूर्ति, सरकार द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से, जहां नीलामी की आय का उपयोग सार्वजनिक या धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाना है।

स्पष्टीकरण– इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,–

(क) अभिव्यक्तियाँ,–

(i) ''यूनिट कंटेनर'' का तात्पर्य है एक पैकेज, चाहे बड़ा हो या छोटा (उदाहरण के लिए टिन, कैन, बॉक्स, जार, बोतल, बैग या कार्टन, ड्रम, बैरल या कनस्तर) जो एक पूर्व निर्धारित मात्रा या संख्या रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ऐसे पैकेज पर इंगित किया गया है;

(ii) ''प्री-पैकेज्ड और लेबल किया हुआ'' का तात्पर्य है वे सभी वस्तुएं जो खुदरा बिक्री के लिए अभिप्रेत हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के खंड (I) में परिभाषित ''प्री-पैक्ड'' हैं, जहां जिस पैकेज में वस्तु प्री-पैक्ड है या उस पर सुरक्षित रूप से चिपकाए गए लेबल पर कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन घोषणाएं करना आवश्यक है;

(iii) ''टैरिफ आइटम'', ''उप-शीर्षक'', ''शीर्षक'' और ''अध्याय'' का क्रमशः वही तात्पर्य होगा जैसा एक टैरिफ आइटम, शीर्षक, उप-शीर्षक और अध्याय जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

(iv) ''सरकारी इकाई'' का तात्पर्य प्राधिकरण या किसी बोर्ड या किसी अन्य निकाय से होगा जिसमें एक सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम सम्मिलित है, जो है–

(क) संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित; या

(ख) किसी भी सरकार द्वारा स्थापित,

इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या अधिक भागीदारी के साथ, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्य को करने के लिए :

(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के निर्वचन के नियम, जिसमें भाग और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य स्पष्टीकारक नोट्स सम्मिलित हैं, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन पर लागू होंगे।

अनुबंध–1

(अनुसूची का क्रम संख्या 113 देखें)

दवाओं या औषधियों की सूची	
1	जीन थेरेपी
2	अगालसिडेस बीटा
3	इमिग्लुसेरेस
4	एप्टाकॉग अल्फा सक्रिय पुनः संयोजक जमावट कारक Vlla
5	ओनासेमनोजीन अवेपारवोवेक
6	एस्सिमिनिब
7	मेपोलिज़ुमैब
8	पेगिलेटेड लाइपोसोमल इरिनोटेकन
9	डाराटुमुमैब
10	डाराटुमुमैब सबक्यूटेनियस
11	टेक्लिस्टामैब
12	एमीवेंटामैब
13	एलेक्टिनिब
14	रिसडिप्लाम
15	ओबिनुटुज़ुमैब
16	पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन
17	एंट्रेक्टिनिब
18	एटिज़ोलिज़ुमैब
19	स्पेज़ोलिमैब
20	वेलाग्लुसेरेज़ अल्फा
21	अगालसिडेस अल्फा
22	रुरियोक्टोकोज अल्फा पेगोल
23	इडुरसल्फेटेज़
24	एल्ग्लुकोसिडेज़ अल्फा

25	लैरोनिडेज़
26	ओलिपुडेज़ अल्फा
27	टेपोटिनिब
28	एवेूलमैब
29	एमिसिजुमैब
30	बेलुमोसुडिल
31	मिग्लूस्टैट
32	वेलमानेज़ अल्फा
33	एलिरोक्यूमैब
34	इवोलोक्यूमैब
35	सिस्टामाइन बिटारट्रेट
36	सी1– इनहिबिटर इंजेक्शन
37	इनक्लिसिरन

अनुबंध –।।

(अनुसूची का क्रम संख्या 161 देखें)

स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्रों की सूची	
1	बुलबुल तरंग
2	''दोतार, दोतोरा या दोतारा''
3	एकतारा
4	गेच्चू वाद्यम या झल्लारी
5	गोपीचंद या गोपियंत्र या खमक
6	गोट्टूवाद्यम या चित्रवीणा
7	काठो
8	सरोद
9	सितार
10	सुरबहार
11	सुरश्रृंगार
12	स्वरबत
13	स्वरमंडल
14	तंबूरा

15	तुंबी
16	तुनतुना
17	मगदी वीणा
18	हंसवीणा
19	मोहन वीणा
20	नकुल वीणा
21	नंदुनी
22	रुद वीणा
23	सरस्वती वीणा
24	विचित्र वीणा
25	याझ
26	रंजन वीणा
27	त्रिवेणी वीणा
28	चिकारा
29	दिलरुबा
30	एकतारा वायलिन
31	इसराज
32	कमाइचा
33	मयूरी वीणा या ताऊस
34	ओनाविल्लु
35	बेहाला (वायलिन प्रकार)
36	पेना या बाना
37	पुल्लुवन वीणा–एक तार वाला वायलिन
38	रावणहत्था
39	लोक सारंगी
40	शास्त्रीय सारंगी
41	सारिंदा
42	तार शहनाई
43	गेथू या झल्लारी
44	गुबगुबा या जमूकू–तालवाद्य स्ट्रिंग वाद्ययंत्र
45	पुल्लुवन कुटम
46	संतूर–हथौड़े वाला कार्ड बॉक्स
47	पेपा
48	पुंगी या बीन
49	भारतीय हारमोनियमः डबल रीड

50	कुझल
51	नादस्वरम
52	शहनाई
53	सुंदरी
54	तंगमुरी
55	अलगोजा–डबल बांसुरी
56	बांसुरी
57	वेणु (कर्नाटक बांसुरी) पुल्लांगुझल
58	मशक
59	टिट्टी
60	श्रुति उपंग
61	गोगोना
62	मोरसिंग
63	श्रुति बॉक्स
64	हारमोनियम (हाथ से पंप किया हुआ)
65	एक्कलम
66	करनाल
67	रामसिंगा
68	कहल
69	नागफनी
70	तुरी
71	ढाड
72	डमरू
73	डिमाडी
74	ढोल
75	ढोलक
76	ढोलकी
77	डुग्गी
78	घाट सिंधारी या गदा सिंधारी
79	घुमोट
80	गुम्मेता
81	कंजिरा
82	खोल
83	किनपर और धोपर (आदिवासी ड्रम)
84	मद्दले
85	मरम

86	मिझाबू
87	मृदंगम
88	पखावज
89	पखावज जोड़ी–तबला जैसा सिख वाद्ययंत्र
90	पंचमुख वाद्यम
91	पुंग
92	शुद्ध मदालम या मद्दालम
93	तबला/तबल/चमेली–गोब्लेट ड्रम
94	तबला
95	तबला तरंग–तबलों का सेट
96	तमटे
97	थंथी पनाई
98	थिमिला
99	''तुंबक, तुंबकनारी, तुंबकनेर''
100	''डफ, डफ, डफ या डफ डिमडी या डिमरी–बिना जिंगल वाला छोटा फ्रेम ड्रम''
101	कंजिरा–एक जिंगल वाला छोटा फ्रेम ड्रम
102	कांसी–बिना जिंगल के छोटा
103	पतायनी थप्पू–हाथों से बजाया जाने वाला मध्यम फ्रेम ड्रम
104	चेंडा
105	डोलू
106	ढाक
107	ढोल
108	ढोली
109	इडक्का
110	थाविल
111	उडुकाई
112	चांडे
113	नगारा–केटल्ड्रम की जोड़ी
114	पंबाई– दो बेलनाकार ड्रमों की इकाई
115	''पराई थप्पू, हलगी–दो डंडों से बजाया जाने वाला फ्रेम ड्रम''
116	संबल
117	स्टिक डफ या स्टिक डफ–स्टैंड में डफ जिसे डंडों से बजाया जाता है
118	तमक
119	ताशा–एक प्रकार का केटल्ड्रम
120	उरुमी
121	जलतरंग चिमटा– पीतल के जिंगल के साथ आग का चिमटा
122	चेंगिला–धातु की डिस्क

123	एलथालम
124	गेगेर–पीतल का बर्तन
125	घटम और मटकम (मिट्टी का बर्तन ड्रम)
126	घुंघरू
127	खरताल या चिपल्या
128	मंजीरा या झांझ या ताल
129	नट– मिट्टी का बर्तन
130	संकरजंग–लिथोफोन
131	थाली–धातु की प्लेट
132	थट्टुकझि मन्नई
133	कांच तरंग, एक प्रकार का ग्लास हार्प
134	काष्ठ तरंग, एक प्रकार का जाइलोफोन

2– यह अधिसूचना तारीख 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.1700/XI-2-25-9(47)/17-T.C.-285-U.P.Act-1-2017-Order-(360)-2025 dated September 20, 2025.

No.-1700/XI-2-25-9(47)/17-T.C.-285-U.P.Act-1-2017-Order-(360)-2025
Dated, Lucknow : September 20, 2025

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no.1 of 2017), and in supersession of the notification no. KA.NI.-2-837/XI-9(47)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(07)-2017 dated 30.06.2017 except as respects things done or *omitted* to be done before such supersession, the Governor, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Schedule appended to this notification, falling under the tariff item, sub-heading, heading or chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, from the whole of the State tax leviable thereon under Section 9 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no.1 of 2017).

SCHEDULE

S. No.	Chapter/Heading/Sub-heading/Tariff item	Description of goods
1	2	3
1	0101	Live asses, mules and hinnies
2	0102	Live bovine animals

1	2	3
3	0103	Live swine
4	0104	Live sheep and goats
5	0105	Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls
6	0106	Other live animals such as Mammals, Birds, Insects
7	0201	Meat of bovine animals, fresh or chilled
8	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	All goods, fresh or chilled
9	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods, other than fresh or chilled, other than pre-packaged and labelled
10	03	Fish seeds, prawn / shrimp seeds whether or not processed, cured or in frozen state [other than goods falling under Chapter 3 and attracting 2.5%]
11	0301	Live fish
12	0302	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
13	0304, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, fresh or chilled
14	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, other than fresh or chilled, and other than pre-packaged and labelled
15	0401	Fresh milk and pasteurised milk, including separated milk, milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, UHT milk
16	0403	Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled
17	0406	Chena or paneer, whether or not pre-packaged and labelled
18	0407	Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked
19	0409	Natural honey, other than pre-packaged and labelled
20	0501	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair
21	0504	All goods, fresh or chilled
22	0504	All goods, other than fresh or chilled, other than pre-packaged and labelled
23	0506	All goods *i.e.* Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or gelatinised; powder and waste of these products
24	0507 90	All goods *i.e.* Hoof meal; horn meal; hooves, claws, nails and beaks; antlers; *etc*.
25	0511	Semen including frozen semen
26	6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage

1	2	3
27	0701	Potatoes, fresh or chilled
28	0702	Tomatoes, fresh or chilled
29	0703	Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled
30	0704	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled
31	0705	Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled
32	0706	Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled
33	0707	Cucumbers and gherkins, fresh or chilled
34	0708	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
35	0709	Other vegetables, fresh or chilled.
36	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
37	0711	Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption
38	0712	Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared
39	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split other than pre-packaged and labelled
40	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh or chilled, dried; sago pith.
41	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets, other than pre-packaged and labelled
42	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled, other than pre-packaged and labelled

1	2	3
43	0801	Coconuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
44	0801	Brazil nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
45	0802	Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), walnuts, Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
46	0803	Bananas, including plantains, fresh or dried
47	0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh.
48	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresh.
49	0806	Grapes, fresh
50	0807	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh
51	0808	Apples, pears and quinces, fresh
52	0809	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh
53	0810	Other fruit such as strawberries, raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, black, white or red currants and gooseberries, cranberries, bilberries and other fruits of the genus vaccinium, Kiwi fruit, Durians, Persimmons, Pomegranates, Tamarind, Sapota (chico), Custard-apple (ata), Bore, Lichi, fresh
54	0813	Tamarind dried
55	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh.
56	07, 09 or 10	All goods of seed quality
57	0901	Coffee beans, not roasted
58	0902	Unprocessed green leaves of tea
59	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries of seed quality
60	0910 11 10	Fresh ginger, other than in processed form
61	0910 30 10	Fresh turmeric, other than in processed form
62	1001	Wheat and meslin, other than pre-packaged and labelled
63	1002	Rye, other than pre-packaged and labelled

1	2	3
64	1003	Barley, other than pre-packaged and labelled
65	1004	Oats, other than pre-packaged and labelled
66	1005	Maize (corn), other than pre-packaged and labelled
67	1006	Rice, other than pre-packaged and labelled
68	1007	Grain sorghum, other than pre-packaged and labelled
69	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi, other than pre-packaged and labelled
70	1101	Wheat or meslin flour, other than pre-packaged and labelled
71	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin, maize (corn) flour, rye flour *etc*, other than pre-packaged and labelled
72	1103	Cereal groats, meal and pellets, other than pre-packaged and labelled
73	1104	Cereal grains hulled
74	1105	Flour, meal, powder, flakes, granules or pellets of potatoes, other than pre-packaged and labelled
75	1106	Flour, meal, powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal (HS 1106 10 10) and guar gum refined split (HS 1106 10 90)], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 *i.e.* of tamarind, of singoda, mango flour, *etc*. other than pre-packaged and labelled
76	1106 10 10	Guar meal
77	12	All goods of seed quality
78	1201	Soya beans, whether or not broken, of seed quality
79	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken, of seed quality
80	1204	Linseed, whether or not broken, of seed quality
81	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken, of seed quality
82	1206	Sunflower seeds, whether or not broken, of seed quality
83	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (*i.e.* Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (Carthamus tinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, of seed quality

1	2	3
84	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Explanation: This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing
85	1210	Hop cones, fresh
86	1210 10 00	Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets
87	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, fresh or chilled
88	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh or chilled
89	1213	Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
90	1214	Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets
91	1301	Lac and Shellac
92	1401	Sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass
93	1404 90 40	Betel leaves
94	1404 90 60	Coconut shell, unworked
95	1404 90 90	Vegetable materials, for manufacture of jhadoo or broom sticks
96	1701 or 1702	(i) Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, other than pre-packaged and labeled (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled (iii) Rab,other than pre-packaged and labelled
97	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% milletsby weight, otherthan pre-packaged and labelled
98	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki, other than pre-packaged and labelled
99	1905	Pappad, by whatever name it is known
100	1905 or 2106	Khakhra; Bread (branded or otherwise), Pizza bread, roti, chapathi, paratha, parotta and other Indian breads by any name called

1	2	3
101	2009 89 90	Tender coconutwater other than pre-packaged and labelled
102	2106	Prasadam supplied by religious places like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, *etc*
103	2201	Water (other than aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized and water sold in sealed unit container)
104	2201	Non-alcoholic Toddy, Neera including date and palm neera
105	2301, 2302, 2308, 2309	Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed andcattle feed, including grass, hay andstraw, supplement andadditives, wheat bran andde-oiled cake other than rice bran
106	2306	De-oiled rice bran
107	2306	Cotton seed oil cake
108	2302, 2309	Husk of pulses including Chilka,Concentrates including chuni or churi, Khanda
109	2501	Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solutions or containing added anti-caking or free flowing agents; sea water
110	26	Uranium Ore concentrate
111	2716 00 00	Electrical energy
112	2835	Dicalcium phosphate (DCP) of animal feed grade conforming to IS specification No.5470 : 2002
113	30 or any other Chapter	Drugs or medicines listed in Annexure I
114	3002	Human Blood and its components
115	3006	All types of contraceptives
116	3101	All goods and organic manure, other than pre-packaged and labelled
117	3304	Kajal (other than kajal pencil sticks), Kumkum, Bindi, Sindur, Alta
118	3825	Municipal waste, sewage sludge, clinical waste
119	3926	Plastic bangles
120	4014	Condoms and contraceptives
121	4016	Erasers
122	4401	Firewood or fuel wood

1	2	3
123	4402	Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated
124	44 or 68	Deities made of stone, marble or wood
125	46	Khali Dona; Goods made of sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass, including sabai grass rope
126	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/ flowers/bark
127	4802 / 4907	Judicial, Non-judicial stamp papers, Court fee stamps when sold by the Government Treasuries or Vendors authorized by the Government
128	4802	Uncoated paper and paperboard,of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803,used for exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks
129	4817 / 4907	Postal items, like envelope, Post card *etc.*, sold by Government
130	4820	Exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks
131	48 or 4907 or 71	Rupee notes or coins when sold to Reserve Bank of India or the Government of India
132	4901	Printed books, including Braille books
133	4902	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material
134	4903	Children's picture, drawing or colouring books
135	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated
136	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed
137	4907	Duty Credit Scrips
138	5001	Silkworm laying, cocoon
139	5002	Raw silk
140	5003	Silk waste
141	5101	Wool, not carded or combed
142	5102	Fine or coarse animal hair, not carded or combed
143	5103	Waste of wool or of fine or coarse animal hair

1	2	3
144	52	Gandhi Topi, Khadi yarn
145	50 to 55	Khadi fabric, sold through Khadi and Village Industries Commission(KVIC) and KVIC certified institutions/outlets
146	5303	Jute fibres, raw or processed but not spun
147	5305	Coconut, coir fibre
148	53	Coir pith compost other than pre-packaged and labelled
149	63	Indian National Flag
150	6703	Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked
151	6912 00 40	Earthen pot and clay lamps
152	69	Idols made of clay
153	7018	Glass bangles (except those made from precious metals)
154	7117	Bangles of lac/shellac
155	8201	Agricultural implements manually operated or animal driven *i.e.* Hand tools, such as spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry other than ghamella.
156	8214	Pencil sharpeners
157	8445	Charkha for hand spinning of yarns, including amber charkha
158	8446	Handloom [weaving machinery]
159	8802 60 00	Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles
160	9021	Hearing aids
161	92	Indigenous handmade musical instruments as listed in Annexure II
162	9603	Muddhas made of sarkanda, Brooms or brushes, consisting of twigs or other vegetable materials, bound together, with or without handles
163	9608,9609	Pencils (including propelling or sliding pencils), crayons, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailor's chalk;Slate pencils and chalk sticks
164	9610 00 00	Slates

1	2	3
165	9619 00 10 or 9619 00 20	Sanitary towels (pads) or sanitary napkins; tampons
166	9803	Passenger baggage
167	Any chapter	Puja samagri namely:– (i) Rudraksha, rudraksha mala, tulsi kanthi mala, panchgavya (mixture of cowdung, desi ghee, milk and curd); (ii) Sacred thread (commonly known as yagnopavit); (iii) Wooden khadau; (iv) Panchamrit; (v) Vibhuti; (vi) Unbranded honey; (vii) Wick for diya; (viii) Roli; (ix) Kalava (Raksha sutra); (x) Chandan tika.
168	-	Supply of lottery by any person other than State Government, Union Territory or Local authority subject to the condition that the supply of such lottery has suffered appropriate Central tax, State tax, Union Territory tax or integrated tax, as the case may be, when supplied by State Government, Union Territory or local authority, as the case may be, to the lottery distributor or selling agent appointed by the State Government, Union Territory or local authority, as the case may be
169	-	Supply of goods by a Government entity to Central Government, State Government, Union Territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union Territory or local authority, against consideration received from Central Government, State Government, Union Territory or local authority in the form of grants
170	Any Chapter	Parts for manufacture of hearing aids
171	Any Chapter except 71	Rakhi (other than those made of goods falling under Chapter 71)
172	Any Chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State or Union territory, or any public servant, by way of public auction by the Government, where auction proceeds are to be used for public or charitable cause.

Explanation.- For the purposes of this Schedule,–

(a) the expressions, –

(i) "unit container" means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package;

(ii) "pre-packaged and labelled" means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are "pre-packed" as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (Act no.1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (Act no. 1 of 2010) and the rules made thereunder;

(iii) "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Act no. 51 of 1975);

(iv) "Government entity" shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is–

(a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(b) established by any Government,

with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority;

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2.This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

Annexure-I

[See S. no. 113 of the Schedule]

List of drugs or medicines	
1	Gene Therapy
2	Agalsidase Beta
3	Imiglucerase
4	Eptacog alfa activated recombinant coagulation factor VIIa
5	Onasemnogene abeparvovec
6	Asciminib
7	Mepolizumab
8	Pegylated Liposomal Irinotecan
9	Daratumumab
10	Daratumumab subcutaneous
11	Teclistamab
12	Amivantamab
13	Alectinib
14	Risdiplam
15	Obinutuzumab
16	Polatuzumab vedotin
17	Entrectinib
18	Atezolizumab

19	Spesolimab
20	Velaglucerase Alpha
21	Agalsidase Alfa
22	Rurioctocog Alpha Pegol
23	Idursulphatase
24	Alglucosidase Alfa
25	Laronidase
26	Olipudase Alfa
27	Tepotinib
28	Avelumab
29	Emicizumab
30	Belumosudil
31	Miglustat
32	Velmanase Alfa
33	Alirocumab
34	Evolocumab
35	Cystamine Bitartrate
36	CI-Inhibitor injection
37	Inclisiran

Annexure-II
[See S. No. 161 of the Schedule]

List of indigenous handmade musical instruments	
1	Bulbul Tarang
2	Dotar, Dotora, or Dotara
3	Ektara
4	GetchuVadyam or Jhallari
5	Gopichand or Gopiyantra or Khamak
6	Gottuvadhyam or Chitravina
7	Katho
8	Sarod
9	Sitar
10	Surbahar
11	Surshringar
12	Swarabat
13	Swarmandal
14	Tambura
15	Tumbi

16	Tuntuna
17	Magadi Veena
18	Hansaveena
19	Mohan Veena
20	Nakula Veena
21	Nanduni
22	Rudra Veena
23	Saraswati Veena
24	Vichitra Veena
25	Yazh
26	Ranjan Veena
27	Triveni Veena
28	Chikara
29	Dilruba
30	Ektara violin
31	Esraj
32	Kamaicha
33	Mayuri Vina or Taus
34	Onavillu
35	Behala(violin type)
36	Pena or Bana
37	Pulluvan veena - one stringed violin
38	Ravanahatha
39	Folk sarangi
40	Classical sarangi
41	Sarinda
42	Tar shehnai
43	Gethu or Jhallari
44	Gubguba or Jamuku - Percussion string instrument
45	Pulluvan kutam
46	Santoor - Hammered chord box
47	Pepa
48	Pungi or Been
49	Indian Harmonium: Double reed
50	Kuzhal
51	Nadaswaram
52	Shehnai
53	Sundari

54	Tangmuri
55	Alghoza - double flute
56	Bansuri
57	Venu (Carnatic flute) Pullanguzhal
58	Mashak
59	Titti
60	Sruti upanga
61	Gogona
62	Morsing
63	Shruti box
64	Harmonium (hand-pumped)
65	Ekkalam
66	Karnal
67	Ramsinga
68	Kahal
69	Nagphani
70	Turi
71	Dhad
72	Damru
73	Dimadi
74	Dhol
75	Dholak
76	Dholki
77	Duggi
78	Ghat singhari or gada singari
79	Ghumot
80	Gummeta
81	Kanjira
82	Khol
83	Kinpar and Dhopar (tribal drums)
84	Maddale
85	Maram
86	Mizhavu
87	Mridangam
88	Pakhavaj
89	Pakhavaj jori - Sikh instrument similar to tabla
90	Panchamukha vadyam
91	Pung

92	Shuddha madalam or Maddalam
93	Tabala/tabl/chameli - goblet drum
94	Tabla
95	Tabla tarang - set of tablas
96	Tamte
97	Thanthi Panai
98	Thimila
99	Tumbak, tumbaknari, tumbaknaer
100	Daff, duff, daf or duf Dimdi or dimri - small frame drum without jingles
101	Kanjira - small frame drum with one jingle
102	Kansi - small without jingles
103	Patayani thappu - medium frame drum played with hands
104	Chenda
105	Dollu
106	Dhak
107	Dhol
108	Dholi
109	Idakka
110	Thavil
111	Udukai
112	Chande
113	Nagara - pair of kettledrums
114	Pambai - unit of two cylindrical drums
115	Parai thappu, halgi - frame drum played with two sticks
116	Sambal
117	Stick daff or stick duff - daff in a stand played with sticks
118	Tamak
119	Tasha - type of kettledrum
120	Urumee
121	Jaltarang Chimpta - fire tong with brass jingles
122	Chengila - metal disc
123	Elathalam
124	Geger - brass vessel
125	Ghatam and Matkam (Earthenware pot drum)
126	Ghungroo
127	Khartal or Chiplya
128	Manjeera or jhanj or taal
129	Nut - clay pot

130	Sankarjang - lithophone
131	Thali - metal plate
132	Thattukazhi mannai
133	Kanch tarang, a type of glass harp
134	Kashtha tarang, a type of xylophone.

By order,
M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 193 राजपत्र–2025–(583)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 15 सा0 राज्य कर–2025–(584)–500+500=1000 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।